राजस्थान सरकार

नागरिक अधिकार पत्र

कार्यालय
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, राजस्थान, जयपुर
6—सी, सुरक्षा भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन : 0141—2709659

e-mail Id: cifb@rajasthan.gov.in

website: rajfab.rajasthan.gov.in

Signature Not Verified
RajKaj Ref
6035323
Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

नागरिक अधिकार पत्र

उद्देश्य :

राज्य की चहुॅमुखी प्रगति में औद्योगिक विकास की अहम भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगीकरण को बढावा देने के लिए नये–नये कदम उठाने के फलस्वरूप राज्य के औद्योगीकरण में गति आई है। कारखानों में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग एवं नये रसायनों का उपयोग बढता जा रहा है, जिसके कारण औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये भी नई चुनौतियॉ आई हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम, 1948, बॉयलर अधिनियम, 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 से सम्बन्धित धाराओं, नियमों व उपनियमों की कारखाना प्रबन्धकों से पालना करवाना एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों की पालना करवाना है।

विभाग की भूमिका :

- स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याणकारी प्रावधानों की अनुपालना करवाने हेतु राज्य में स्थापित कारखानों एवं बॉयलर्स का निरीक्षण तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों की पालना के लिये निर्माण संस्थानों का निरीक्षण कर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करवाना।
- कारखाना अधिनियम के तहत पंजीयन कर अनुज्ञा–पत्र जारी करना एवं अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करना ।
- कारखानों में नये स्थापित बॉयलर्स के पंजीयन सम्बन्धी कार्यवाही करना एवं पूर्व स्थापित बॉयलर्स का सामयिक निरीक्षण कर प्रमाण–पत्र जारी करना।
- बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स रूल्स एवं बॉयलर अटेन्डेन्ट्स रूल्स के अन्तर्गत परीक्षाऐं आयोजित करना।
- इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, 1950 के तहत वेल्डर सर्टिफिकेट जारी करना।

RajKaj Ref
6035323

Signature Not Verified

Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved

- कारखानों में प्रयोग किये जाने वाले रसायन एवं विषैले पदार्थो की कार्य वातावरण में अनुज्ञेय सीमा सुनिश्चित करवाना।
- कारखाना प्रबन्धकों, सुपरवाइजरों एवं श्रमिकों में औद्योगिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सुरक्षा प्रशिक्षण एवं श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित करना।
- राज्य की औद्योगिक नीति में विभागीय दायित्व को लागू करना।
- विभिन्न अधिनियमों के तहत श्रमिकों को प्राप्त अधिकार एवं दायित्व

कारखाना अधिनियम, 1948 :

कारखाना अधिनियम ऐसे विनिर्माण पर लागू होता है जिनमें :

- 20 या अधिक श्रमिक विद्युत पॉवर की सहायता से अथवा 40 या अधिक श्रमिक बिना विद्युत पॉवर की सहायता से उत्पादन प्रक्रिया पर कार्यरत हों।
- कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के तहत अधिसूचित कारखानों में 20 से कम श्रमिक नियोजित होने पर भी लागू होता हैं।

श्रमिकों के अधिकार :

- श्रमिक को स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्य विधि के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार।
- कारखानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित अपर्याप्त व्यवस्था के मामले में निरीक्षक को प्रतिवेदन का अधिकार।
- श्रमिकों के कार्य के घण्टे सप्ताह में 48 तक सीमित रखना।
- अधिसमय का सामान्य से दुगनी दर पर भुगतान।
- प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश।
- प्रत्येक पारी में लगातार 5 घण्टे कार्य करने पर आधे घण्टे का विश्राम।
- 20 दिवस कार्य करने पर एक दिन का सवेतन अवकाश।
- सवेतन अवकाश पुस्तिका प्राप्ति का अधिकार।
- पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था ।
- चालू मशीनों की परीक्षा/लुब्रीकेशन आदि करने वाले निर्धारित श्रमिकों को चुस्त पोशाक ।

RajKaj Ref
6035323

Signature Not Verified

Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved

- ऑखों के बचाव हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं पर कार्य करने वाले श्रमिकों को समुचित गोगल्स की व्यवस्था करना।
- परिसंकटमय प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य की नियमित जॉच।
- प्राथमिक चिकित्सा सुविधा सभी कारखानों में एवं 500 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में एम्बुलेन्स रूम मय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
- सामान्यतया 250 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में श्रमिकों को केन्टीन की सुविधा।
- सामान्यतया 150 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में श्रमिकों के लिए विश्रामगृह, भोजनकक्ष की सुविधा।
- सामान्यतया 30 से अधिक महिला कर्मकार नियोजित करने वाले कारखानों में महिला श्रमिकों के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिशुकक्ष की सुविधा।
- परिसंकटमय प्रक्रियाओं पर काम करने वाले श्रमिकों को समुचित व्यक्तिगत बचाव उपकरण उपलब्ध करवाया जाना।
- प्रमुख दुर्घटना जोखिम प्रस्तुत करने वाले कारखानों से संभावित खतरों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का आसपास के प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को अधिकार।

कारखाना अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत श्रमिकों का दायित्वः

- कारखाने में श्रमिकों द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उपलब्ध कराये गये उपकरणों व सुविधाओं आदि का जानबूझकर दुरूपयोग एवं हस्तक्षेप नहीं करना।
- जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे उनके स्वयं या अन्य के खतरे में पड़ने की संभावना हो।
- व्यक्तिगत बचाव उपकरणों की उपेक्षा न करना एवं मशीन गार्ड या बाढ़ आदि को नही हटाना।

Signature Not Verified

RajKaj Ref
6035323

Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved

बॉयलर अधिनियम, 1923 :

- यह अधिनियम ऐसे बंद पात्र (Closed Vessels) पर लागू नहीं होता है जिसकी पानी की भराव क्षमता 25 लीटर से कम अथवा 1.00 kg/cm2 दबाव से कम अथवा 100^0 सेन्टीग्रेड से कम तापमान पर कार्यरत हो। शेष बंद पात्र (Closed Vessels) पर लागू होता है जो दबावशील वाष्प उत्पन्न करने के लिये विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है और इसके अन्तर्गत ऐसे पात्र का कोई ऊपर का भाग (mountings) या उसके साथ लगी हुई अन्य फिटिंग्स है जो वाष्प बन्द कर दिये जाने पर पूर्णता या भागतः दबावधीन रहती है ।

मुख्य प्रावधान :

- बॉयलर जो इण्डियन बॉयलर रेगूलेशन, 1950 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार बनाये गये हों, चलाये जा सकते हैं।
- बॉयलर बनाने वाली फर्म बॉयलर का फोल्डर (Boiler inspection data book), मैन्यूफैक्चरिंग सर्टिफिकेट एवं सर्टिफाइड ड्राइंग्स आदि क्रेता को बॉयलर के साथ देती है। पूर्व में पंजीकृत बॉयलर खरीदते समय उनके निरीक्षण हेतु बॉयलर का पूर्व का प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, बॉयलर का रिकार्ड स्थानान्तरण करवाने का आवेदन पत्र आदि दस्तावेज के साथ SSO ID द्वारा लॉगिन कर विभागीय वेब एप्लीकेशन RajFAB https://rajfab.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- स्टीम पाइप लाइन अनुमोदन के लिए SSO ID द्वारा लॉगिन कर विभागीय वेब एप्लीकेशन RajFAB https://rajfab.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- पंजीकृत एवं प्रमाण–पत्र प्राप्त शुदा बॉयलर ही कारखाने में चलाया जाए।
- प्रमाण पत्र में स्वीकृत प्रेशर से अधिक पर बॉयलर नहीं चलाया जाए।
- प्रमाणपत्र प्राप्त बॉयलर अटेन्डेन्ट द्वारा ही बॉयलर चलवाया जाए।
- 1000 वर्ग मीटर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले बॉयलर को प्रमाणपत्र प्राप्त बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर की देखरेख में ही चलवाया जाए।

Signature Not Verified

RajKaj Ref 6035323

Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved

वेतन भुगतान अधिनियम 1936 :

यह अधिनियम रूपये 24000/– तक मासिक वेतन प्राप्त श्रमिकों पर लागू होता है।

श्रमिक अधिकार :

- निश्चित निर्धारित समय पर वेतन प्राप्त करने का अधिकार।
- वेतन में से अनाधिकृत कटौतियों अथवा वेतन भुगतान नहीं करने की स्थिति में पूर्ण राशि मय क्षतिपूर्ति राशि के पाने का अधिकार।
- वेतन भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति राशि सहित वेतन पाने का अधिकार।

विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की जाने वाली स्वीकृतियों के लिए जानकारी एवं समयबद्व निस्तारण की अवधि की सूचना:

क्र0 सं0	कार्य विवरण	सूचना हेतु लिंक	QR Code
1	**कारखाना अधिनियम, 1948**		
a.	कारखाना पंजीकरण, नक्शा अनुमोदन, नवीनीकरण आदि अनुमोदन हेतु प्रकिया व दस्तावेजों की जानकारी	https://rajfab.rajasthan.gov.in/web/Factories.htm	
b.	समय सीमा	https://rajfab.rajasthan.gov.in/web/Documents/ActsAndRules/timeline_notification.PDF	

RajKaj Ref
6035323

Signature Not Verified

Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved

c.	नक्शों के अनुमोदन हेतु आवेदन प्रपत्र 1	https://rajfab.rajasthan.gov.in/web/Documents/forms/Form_I.pdf	
e.	कारखाना लाइसेंस हेतु आवेदन प्रपत्र 2	https://rajfab.rajasthan.gov.in/web/Documents/forms/Form_II.pdf	
f.	कारखाना पंजीयन/लाइसेंस नवीनीकरण हेतु शुल्क	https://rajfab.rajasthan.gov.in/web/Documents/Notifications/fee_schedule_factories_New.pdf	
	बायलर अधिनियम, 1923		
2	बायलर पंजीकरण, नक्शा अनुमोदन, नवीनीकरण आदि अनुमोदन हेतु प्रकिया व दस्तावेजों की जानकारी	https://rajfab.rajasthan.gov.in/web/Boilers.htm	

Signature Not Verified

RajKaj Ref
6035323

Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved

a	समय सीमा	https://rajfab.rajasthan.gov.in/web/Documents/ActsAndRules/timeline_notification.PDF	
b	बायलर पंजीयन शुल्क	https://rajfab.rajasthan.gov.in/web/Documents/Notifications/boiler_registration_fees.pdf	
c	बायलर नवीनीकरण शुल्क	https://rajfab.rajasthan.gov.in/web/Documents/Notifications/Boiler_renewal_notification_Amendment_21September2015.pdf	

नवाचार

- राज्य सरकार द्वारा नये सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रोत्साहन के लिये RMSME Act, 2019 जारी किया गया। जिसकी पालना में विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत Acknowledgement Certificate करने वाले नये उद्योगों को पांच वर्ष तक कारखाना एवं बॉयलर्स के निरीक्षण व अनुमोदन से छूट प्रदान कर दी गई है।
- सभी पंजीकृत कारखानों एवं बॉयलर्स के लिए स्वप्रमाणीकरण योजना को लागू किया गया है ।

विभाग में जन समस्याओं के निस्तारण की समयबद्ध व्यवस्था राजस्थान सम्पर्क https://sampark.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से की हुई है जिसके लिये वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स (मु0), जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है ।

Signature Not Verified
RajKaj Ref 6035323
Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved

विभाग के अधिकारियो ं के नाम, पता व टेलीफोन नम्बर का विवरण https://rajfab.rajasthan.gov.in/web/Telephone_Directory.htm पर उपलब्ध है ।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (परिशिष्ट–अ) से सूचना प्राप्त की जा सकती है ।

विभाग की समस्त सूचना विभागीय वेबसाइट https://rajfab.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

RajKaj Ref
6035323

Signature Not Verified

Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved

(परिशिष्ट–अ)

सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी

क.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र
	राज्य लोक सूचना अधिकारी	
1	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स (मुख्यालय), राजस्थान जयपुर	समस्त राजस्थान
	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	
2	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर रीजन	जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और दौसा जिले
3	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, अलवर	अलवर, कोटपूतली–बहरोड जिला
4	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जोधपुर	जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी और जैसलमेर जिले
5	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, उदयपुर	उदयपुर,सलूम्बर और राजसमन्द जिले
6	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, कोटा	कोटा, बारां एवं झालावाड जिले
7	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स , अजमेर	किशनगढ उपखण्ड को छोडकर अजमेर जिला एवं ब्यावर तथा केकडी जिला
8	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भीलवाडा	भीलवाडा और शाहपुरा जिला
9	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भिवाडी	खैरथल–तिजारा जिला
10	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स , पाली	पाली जिला

Signature Not Verified

RajKaj Ref 6035323

Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved

11	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, अनुपगढ जिला
12	वरिष्ठ निरीक्षक कारखना एवं बायलर्स, किशनगढ	किशनगढ उपखण्ड अजमेर जिला
13	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, बॉसवाडा	बॉसवाडा, डूॅगरपुर जिले
14	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, बीकानेर	बीकानेर, चूरू जिले
15	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ, प्रतापगढ जिले
16	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, बालोतरा	बाडमेर और बालोतरा जिला
17	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भरतपुर	भरतपुर, डीग, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर एवं करौली जिले
18	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, हनुमानगढ	हनुमानगढ जिला
19	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, सीकर	सीकर, नीम का थाना एवं झुंझुनु जिले
20	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, मकराना	नागौर, डीडवाना—कुचामन जिला
21	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, बून्दी	बून्दी एवं टोंक जिले
22	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, सिरोही	सिरोही, सांचौर एवं जालौर जिले

RajKaj Ref
6035323

Signature Not Verified

Digitally signed by Daya Lal Damor
Designation : Chief Inspector
Date: 2024.03.28 18:21:54 IST
Reason: Approved